वेणुगोपालाचारी): तकनीकी उन्नयनीकरण एक सतत् प्रक्रिया होने के नाते विद्युत मंत्रालय द्वारा औद्योगिक क्षेत्र समेत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में हाल ही में की गई कार्यवाहियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:—

(i) उद्योग, कृषि, वाणिज्य तथा घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा बचाने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाने संबंधी स्कीमों का कार्यान्वयन, जैसे कि ऊर्जा लेखा परीक्षा, विशिष्ट उप क्षेत्रों के लिए निदर्शन परियोजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमीनार/कार्यशाला का आयोजना, जागरुकता अभियान, कृषि पंपसेटों का सुधार तथा रिमोट कंट्रोल्ड लोड मैनेजमेंट स्कीमें चलाना इत्यादि।

(ii) पारेषण व वितरण क्षतियों को कम करने की योजनाएं चलाने तथा केन्द्र तथा राज्य दोनों ही स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की प्रचालनाधीन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु उपाय करने के अलावा अधिष्ठापित क्षमता की अधिकतम समुपयोजन सुनिश्चित करना, थर्मल पावर स्टेशनों के लिए कोयले की समुचित गुणवत्ता व मात्रा की आपूर्ति की मानीटरिंग तथा विद्यमान विद्युत केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उन्नयनी करण।

(iii) पारेषण व वितरण क्षतियों को कम करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमों का क्रियान्वयन करना जिसमें कैपेसिटर्स तथा मीटर के टेम्पर प्रूफ बाक्सों की अधिष्ठापना करना, भारतीय (विद्युत) अधिनियम, 1910 की धारा 39 के अधीन ऊर्जा की चोरी को संज्ञेय अपराध घोषित करने के अलावा विद्युत की चोरी पकड़ने के लिए सर्तकता दस्ते बनाना शामिल हैं। पारेषण व वितरण क्षतियों में कमी लाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को अभिप्रेत करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना भी बनाई गयी है।

(iv) देश में वितरण प्रणाली को सरल व कारगर बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पावरग्रिड स्थापित करने हेतु कार्रवाई आरंभ करना जिसमें क्षेत्रिय ग्रिडों का अंतः संबंध शामिल है।

Monitoring Committees for Ministerial Discretion

3812. SHRI RAGHAVJI :
SHRI GOVINDRAM MIRI:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENATION be pleased to refer to answer to Unstarred Question 1909 given in the Rajya Sabha on the 1st August, 1996 and state:

(a) whether all the Ministries/Departments/Autonomous Bodies/Instrumentalities of Government of India like Kendriya Vidyalaya Sangathan have since formed monitoring committees and framed relevant guidelines for ministerial discretion or actions in relaxation of set rules;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI YOGINDER K. ALAG): (a) Government have decided to abolish all discretionary quotas hitherto enjoyed by the Ministers in all the Ministries/Department. It has also been decided that in areas where it is considered absolutely necessary to make a small number of out-of-turn allotments, Ministries/Departments should formulate clear rules and guidelines and make arrangements for making out-of-turn allotments by a Committee specially set up for this purpose. No special dispensation admissions are being ordered from this calendar year in Kendriya Vidyalayas in view of the directives given by the High Court of Delhi in connection with a writ petition on 27.3.96.

(b) and (c) The necessary directives in the matter were issued on 18.7.96. Information regarding the formation of monitoring committees and framing relevant guidelines for ministerial discretion or actions in relaxation of set rules is being collected and will be laid on the Table of the House.